बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषय :– केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) घटक के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 26130.728 लाख रू0 (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) तथा इस योजना में राज्यांश के रूप में 3049.456 लाख रू0 (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू0 मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 वीं जन्म दिन 02, अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" (नगरीय)" योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय के निकासी की प्रशासनिक स्वीकृत का निर्णय विभागीय संकल्प सं0–2614 दिनांक–29.05.2015 द्वारा अधिसूचित है।

1. ठोस कचड़ा प्रबंधन न केवल स्वच्छ भारत मिशन का महत्वपूर्ण घटक है, बल्कि सभी नगर निकायों के लिए यह प्रथम वरीयता का विषय है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगर निकायों के 18 मुख्य दायित्वों में से एक है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय समय पर नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के 9 नगर निगमों, 17 प्रमुख नगर परिषदों, एवं 9 नगर पंचायतों कुल–35 शहरों की समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन है (DPR) विभाग द्वारा नगर निकायों की मदद से तैयार करायी गयी है। जिनमें से 5 शहरों यथा (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र से राशि प्राप्त करने के लिए DPR की तकनीकी जांच IIT, पटना से करवाने के पश्चात् स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशानुसार इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 27459.00 (दो अरब चौहत्तर करोड़ उनसठ लाख रू0 मात्र) की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित State High Power Committee (SHPC) द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2016 को दी गयी है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों के द्वारा किया जाना है।

State High Power Committee (SHPC) से स्वीकृति के पूर्व योजना के घटक Equipment and vehicles मद में नगर पंचायत बोधगया द्वारा रू0 33.25 लाख, नगर निगम, गया द्वारा रू0 653.00 लाख, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा रू0 207.83 लाख, नगर परिषद, बेतिया द्वारा रू0 218.492 लाख एवं नगर परिषद, सिवान द्वारा रू0 215.70 लाख अर्थात कुल रू0 1328.272 लाख व्यय की गई है। उक्त राशि का व्यय नगर निकायों द्वारा राज्य योजना मद में उपलब्ध राशि से किया गया है। उक्त व्यय की गई राशि रू0 1328.272 लाख रू0 घटाकर अब कुल परियोजना लागत की राशि रू0 26130.728 लाख (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) होता है, जिसकी योजनावार एवं घटकवार विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	परियोजना के उपघटक	गया	बोधगया	मुजफ्फरपुर	बेतिया	सिवान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Equipment and vehicles for Door to Door & Primary Collection and Transportation of waste	826.00	210.75	886.17	377.508	239.30	2539.728
2	Waste Segregation & Waste Processing plant and vehicles	1524.00	170.00	6235.00	3771.00	4168.00	15868.00
3	Construction of Sanitary Landfill and vehicles	1880.00	209.00	2567.00	1649.00	1418.00	7723.00
4	Total Project Cost Approved by HPC	4230.00	589.75	9688.17	5797.508	5825.30	26130.728
5	Central Assistance (35% of approved cost)	1480.50	206.413	3390.86	2029.128	2038.855	9145.756
6	Equivalent State Share to match central share (11.67% of approved cost)	493.641	68.824	1130.609	676.569	679.813	3049.456
7	Invested by ULB or by private party on PPP mode.	2255.859	314.513	5166.701	3091.811	3106.632	13935.516

2. स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशानुसार एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 18 जुलाई 2016 के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन की योजना के क्रियान्वयन में कुल लागत राशि की 35% हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की ही होगी। स्वीकृत परियोजना के अनुसार कम से कम केंद्र की आवंटित 25% राशि के सदृश्य राशि (स्वीकृत राशि का 11.67%) राज्य सरकार को वहन करना होगा। शेष राशि निजी सहभागिता के आधार पर निजी संस्था द्वारा निवेश की जाएगी। समेकित ठोस अपशिष्ट के तीन अवयवों, (i) घर घर से कचरा संग्रहण एवं परिवहन (ii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एवं (iii) स्वच्छ भूमि भरण स्थल के विकास (development of sanitary landfill site) में से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना तथा घर–घर से कचरा संग्रहण एवं परिवहन लोक निजी

सहभागिता आधार पर की जा सकती है जिसमें निजी सहभागी संस्था शेष राशि का निवेश कर सकती है। ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना के लिए निजी संस्था के चयन हेतु standard RFP सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। ठोस अपशिष्ट संयंत्र से उत्पादित जैविक खाद, अथवा Pellet अथवा विद्युत् का विक्रय कर निजी संस्था उसके द्वारा निवेश की गयी राशि की 7-10 वर्ष में प्रतिपूर्ति कर सकेगी। घर–घर से कचरा संग्रहण एवं परिवहन में निजी संस्था द्वारा निवेश की गई राशि उपभोक्ता शुल्क (User Charges) से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की 5 शहरों की परियोजना लागत की कुल राशि 26130.728 लाख रु. (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0) मात्र है। योजनाओं की कुल स्वीकृत राशि में से केन्द्रांश की राशि 9145.756 (इक्यानवें करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार छह सौ रू0 मात्र) तथा राज्यांश की राशि 3049.456 लाख (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू0 मात्र) को घटाकर शेष राशि 13935.516 लाख (एक अरब उनचालिस करोड़ पैंतीस लाख इक्यावन हजार छह सौ रू0 मात्र) का व्यय सहभागी संस्था द्वारा की जायेगी।

योजना के अधीन मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित State High Power Committee (SHPC) की दिनांक 24 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति रू0 27459.00 (दो अरब चौहत्तर करोड़ उनसठ लाख रू0 मात्र) के व्यय पर प्राप्त है। जबकि यह योजना घटकर अब केवल रू0 26130.728 लाख रु. (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) रह गया है।

3. राज्य के शहरों को साफ़ सुथरा रखने एवं नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक, वैवाहिक स्थल इत्यादि से निकलने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन आवश्यक है| इसमें स्रोत पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण शामिल है। इनमें से एक भी अवयव पर कार्य नहीं हो तो शहर को साफ़ सुथरा नहीं रखा जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मानव बल एवं उपस्करों एवं उनके रख रखाव पर काफी मात्र में व्यय होता है जिसका पुनर्भरण नागरिकों से शुल्क प्राप्त कर किया जा सकता है किन्तु प्रारंभ में नागरिकों से पूर्ण शुल्क प्राप्त करना संभव नहीं है अतः प्रारंभिक चरणों में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों से ही राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कालांतर में जब पूरे शहर में अच्छी साफ़ सफाई सेवा नागरिकों को प्राप्त होगी तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का 100% व्यय नागरिकों से वाजिव शुल्क वसूल कर किया जा सकता है।

4. <u>योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत</u> :– इस योजना की स्वीकृत परियोजना राशि का 35% भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत RTGS से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य की कम से कम हिस्सेदारी 11.67% होगी शेष राशि लोक निजी सहभागिता के आधार पर निवेश करना प्रस्तावित है।

5. यह योजना आंशिक रूप से निर्माण कार्य से सम्बंधित है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एवं स्वच्छ भूमि भरण स्थल का विकास सम्मिलित है। वर्तमान में पाँचों शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एवं स्वच्छ भूमि भरण स्थल के विकास पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रथम उपघटक घर घर से कचरा संग्रहण एवं परिवहन पर सभी नगर निकायों ने मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान योजना अंतर्गत राज्य द्वारा दी गयी राशि का व्यय किया है।

6. **मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–08.08.2017 के मद सं0–20 के रूपये प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।**

7. **अतः केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) घटक के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 26130.728 लाख रू0 (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) तथा इस योजना में राज्यांश के रूप में 3049.456 लाख रू0 (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू0 मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है ।**

आदेश – आदेश दिया जाता है कि उस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाया एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM-01-06/2017 /न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM-01-06/2017 1931 /न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–22/8/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/निदेशक, बुडा के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2017
सरकार के प्रधान सचिव।